

कार्यालय आदेश
प्रशासकीय अधिकारी शाखा
हरियाणा सिविल सचिवालय

हरियाणा सिविल सचिवालय में आगन्तुकों के प्रवेश हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत

निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

- (1) आगन्तुकों के सचिवालय में प्रवेश हेतु पास 2.00 बजे के बाद अधिकृत पत्र के साथ ही बनाए जाएं तथा 3.00 बजे से सचिवालय में प्रवेश की अनुमति दी जाए ।
- (2) दूरभाष पर दिए गए निर्देश पर सचिवालय में प्रवेश की अनुमति न दी जाए ।
- (3) आगन्तुकों के सचिवालय में प्रवेश की जिम्मेवारी अधिकृत पत्र जारी करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी की होगी ।
- (4) यदि स्वागती बिना किसी अधिकृत पत्र के सचिवालय में प्रवेश हेतु पास जारी करता है तो उसकी जिम्मेवारी स्वागती की होगी ।

दिनांक, चण्डीगढ़
22.03.2005

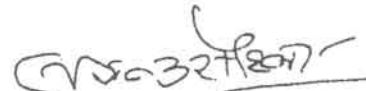
आर.पी.गुप्ता
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
सचिवालय स्थापना ।

पृ० क्र०: 32/1./2005-ए.डी.ओ.(सी.टी.॥)

दिनांक, चण्डीगढ़ 31 मार्च, 2005

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सभी मन्त्रीगण के निजी सचिव ।
2. सभी प्रशासकीय सचिवों के निजी सचिव ।
3. स्वागती, हरियाणा सिविल सचिवालय ।
4. कमान्डैन्ट, सी. आई. एस. एफ. ।



प्रशासकीय अधिकारी,
कृते: संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
सचिवालय स्थापना ।